

जाकिर हुसैन बनाम स्टेट
प्रकरण संख्या 505/2025 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामिल में
जारी हुये

17.9.2025 पत्रावली पेश हुई। वकूलाए फरिकैन उपस्थित। स्टेट जबाब प्राप्त हुआ। साक्ष्य में वादी ने शपथ पत्र एवं सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक पेश की। वकूलाए फरिकैन की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि वादी का सही नाम जाकिर हुसैन पुत्र गोहर अली है। अतः वाद वादी डिक्री करते हुए चक 2 पीआरकेएम के खाता सं. 31/26 की 3.719 है। में दर्ज वादी का नाम जाकर पुत्र गोर अली के स्थान पर जाकिर हुसैन पुत्र गोहर अली दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 17.9.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
सुपरण्ड अधिकारी
उदयपुर

